



दिनांक- 18.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.02.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **लाखन पुत्र चमन निवासीग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0-2346/19 धारा 420 भादवि व 60/72 आ0 अधि0 में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता -

लाखन पुत्र चमन निवासीग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ओमपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सजय कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. हे0का0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 18.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल ,सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड 01 हिस्ट्रीशीटर

गोकश/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस
.315 बोर ,01 जिंदा गोवंश एवं गोकशी करने के उपकरण बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, पशु चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के उद्देश्य से जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गश्त एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17.02.2026 की रात्रि को उप निरीक्षक श्री जितेंद्र सिंह भाटी पुलिस टीम के साथ गांगनौली से दंगडौली जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गांगनौली के जंगल में कुछ व्यक्ति गोकशी करने की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर ईख के खेत की घेराबंदी की गई। खेत के अंदर से जानवर के रंभाने की आवाज सुनाई देने पर टॉर्च की रोशनी से देखा गया तो तीन संदिग्ध व्यक्ति एक बछड़े के साथ खड़े दिखाई दिए। पुलिस टीम को नजदीक आता देख बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए खेत की घेराबंदी कर एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नसीम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली, थाना नागल जनपद सहारनपुर, जनपद सहारनपुर उम्र करीब 45 वर्ष के रूप में हुई, जबकि दो अन्य अभियुक्त अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा (.315 बोर), 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस (.315 बोर), 01 जिंदा बछड़ा तथा गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त नसीम उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना नागल जनपद सहारनपुर का बी श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नागल जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 55/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/25/27 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नसीम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली, थाना नागल जनपद सहारनपुर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा.315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 जिंदा गोवंश

➤ गोकशी करने के उपकरण (02 छुरे, 01 दाव व 01 लकड़ी का गुटखा)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 215/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नागल जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 189/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नागल जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 138/2020 धारा 307 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 139/2020 धारा 3/25/27 गौवध अधि0 थाना नागल जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 142/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नागल जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 009/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नागल जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 186/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 55/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री राजकुमार चौहान थाना नागल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह भाटी थाना नागल जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना नागल जनपद सहारनपुर
4. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1284 धर्मेन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
6. का0 159 रवि कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एन.बी.डब्लू वारण्टी अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.02.2026 को 01 वारन्टी/ अभियुक्त कालू पुत्र बलजीत निवासी ग्राम सापंला खत्री थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर सम्बन्धित परिवाद सं0-52/2001 धारा 323/504 भादवि जनपद सहारनपुर मा0 न्याया0 देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में वारन्टी उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी /अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

कालू पुत्र बलजीत निवासी ग्राम सापंला खत्री थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. का0 2096 धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक: 18.02.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 375 ग्राम अवैध चरस बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त मनोज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बट्टानवाला थाना फतेहपुर सहारनपुर को दबनी कबरीस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 375 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 81/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मनोज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बट्टानवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

375 ग्राम स्मैक अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

- उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- है0का0 250 कविन्द्र ढाका थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- हे0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते

हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 मोटर साइकिल बरामद

घटना का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.02.2026 को वादी रोहित कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी कांकरकुई थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर की लिखित तहरीर पर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल रजि0 न0 यू0पी0 11 बीएक्स 6787 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 96/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर वाहन चोरी की घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं चोरी गये वाहन की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहच चोर अभियुक्त 1. अमरदीप उर्फ माठु पुत्र पहल सिंह निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2. विकास पुत्र प्रीतम सैनी निवासी मौहल्ला शैदमीर कस्बा व् थाना झिंझाना जनपद शामली हाल पता किराये का मकान सचिन का सेंट्रल पार्क कोढ़ी कॉलोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को आवास विकास में काशीराम कॉलोनी को जाने रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी 01 मोटर साइकिल प्लेटिना UP11BX6787 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अमरदीप उर्फ माठु पुत्र पहल सिंह निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. विकास पुत्र प्रीतम सैनी निवासी मौहल्ला शैदमीर कस्बा व् थाना झिंझाना जनपद शामली हाल पता किराये का मकान सचिन का सेंट्रल पार्क कोढ़ी कॉलोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोटर साइकिल प्लेटिना (UP11BX6787)

गिरफ्तार अभियुक्त अमरदीप का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 281/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 चालानी थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 342/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 633/17 धारा 25 आयुध अधि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 448/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर

5. मु0अ0सं0 455/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 456/21 धारा 411/414/420/465 भा0द0वि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 457/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 531/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 667/25 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त विकास का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 727/24 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विमल कुमार सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. है0का0 881 धीरज कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. का0 385 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. पीआरडी 3450 जोगिन्दर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



दिनांक: 18.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.02.2026 को गस्त/चेंकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **सलमान पुत्र अहसान निवासी रहमानी चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मानव मन्दिर के पीछे विनोद विहार के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 100/26 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र अहसान निवासी रहमानी चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 448/23 धारा 380/427457//511 भा0द0वि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 458/23 धारा 380/411 भा0द0वि0 चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 11/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 रचित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0 11 सुनील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. पीआरडी करनपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा/ 01 जिन्दा कारतूस.315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नकबजनी/चोरी/लूट/अवैध शस्त्र की बिक्री की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **लियाकत पुत्र अब्बास निवासी हरौड़ा मुस्तकम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को ग्राम बुड्ढाखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 53/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लियाकत पुत्र अब्बास निवासी हरौड़ा मुस्तकम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त लियाकत का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 203/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 2.मु0अ0सं0 430/19 धारा 5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गागलहेडी स0पुर
- 3.मु0अ0सं0 79/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 4.मु0अ0सं0 257/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 5.मु0अ0सं0 166/22 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 6.मु0अ0सं0 194/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 7.मु0अ0सं0 341/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 8.मु0अ0सं0 18/24 धारा 380/511 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 9.मु0अ0सं0 56/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 10.मु0अ0सं0 38/25 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 11.मु0अ0सं0 99/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 12.मु0अ0सं0 53/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 13.एचएस नं0 10 बी दि0 24.09.22 थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.थानाध्यक्ष श्री अमित नागर थाना गागलहेडी सहारनपुर।
- 2.उ0नि0 अनिल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
- 3.है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
- 4.है0का0 790 कपिल तेवतिया थाना गागलहेडी सहारनपुर।



दिनांक 18-02-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-09 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या का प्रयास, लूट व आर्म्स एक्ट के मुकदमों में 03 अभियुक्तगण को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व 75 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.12.2014 को वादी श्री व०उ०नि० राजेन्द्र सिंह थाना गंगोह सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. शमीम पुत्र सुलेमान निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना शामिली 2.इबाद अली पुत्र एवज अली निवासी लखनौती थाना गंगोह सहारनपुर 3.अश्वनी पुत्र जगनेश्वर निवासी दैदपुरा थाना नकुड सहारनपुर 4.नरेन्द्र पुत्र अफलातून निवासी ढलावली थाना गंगोह सहारनपुर (मृतक दौरान वाद) अभियुक्तों द्वारा आने जाने वाले व्यक्तियों से लूट करते हुये मौके पर पुलिस पार्टी द्वारा पहुंचने पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना तथा अभियुक्तों से लूट का माल व अवैध तमंचे कारतूस बरामद होने के संबंध में मु०अ०सं० 709/14 धारा 307/34 भादवि बनाम शमीम आदि उपरोक्त चार तथा वादी श्री अनिल कुमार पुत्र हिरदेराम निवासी तातापुर कलां थाना गंगोह सहारनपुर मु०अ०सं०-710/14 धारा 392/34/411/414 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर बनाम शमीम आदि उपरोक्त चार व मु०अ०सं०-711/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम शमीम उपरोक्त व मु०अ०सं० 712/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम इबाद अली उपरोक्त व मु०अ०सं० 714/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम अश्वनी पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० क्रमश 95/16, 96/16, 478/17, 479/17, 481/17 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 18.02.2026 को थाना गंगोह पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 709/14 धारा 307/34 ,मु०अ०सं० -710/14 धारा 392/34 ,मु०अ०सं० 710/14 धारा 411,मु०अ०सं० 710/14 धारा 414 में अभियुक्तगण शमीम,इबाद व अश्वनी को दोषी पाते हुए क्रमशः 06-06 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार जुर्माना, 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के काजुर्माना, 01-01 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपये का जुर्माना तथा 01-01 वर्ष का कारावास व 01-01- हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गयी। अभियुक्त शमीम (मु०अ०सं० 711/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह) , इबाद (मु०अ०सं० 712/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना

गंगोह) व अश्वनी (मु0अ0सं0 714/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट)का दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री नीरज चौहान
विवेचक निरी0 श्री अरविन्द कुमार मान
पैरोकार है0 का0 347 रवि अन्तल

महत्वपूर्ण नोट- अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र अफलातून निवासी ढलावली थाना गंगोह सहारनपुर वाद के दौरान मृत्यु हो गयी।